

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.940 हे० सिविल, 0.404 हे० वन पंचायत, कुल 1.344 हे० वन भूमि का ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु० के शासनादेश सं० 883 (1)/10-3-2011-8 (21)/2010 दिनांक 4/10/2011 के अनुसार जनपद चमोली के अन्तर्गत बारमगाड़ से कोटमिला (रेई) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई समस्त वन भूमि हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.279 हे० को सम्मिलित करते हुए कुल 1.344 हे० वन भूमि का तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 18.8.15 द्वारा निम्न क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं।

1.344 हे० वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल में खसरा सं० 6, 34 खा० सं० 32 भूमि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थलों की भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

shy
R.D.

shy

अधिशाली अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
चमोली, (गोपेश्वर)

राजस्व उप निरीक्षक कुलसभा
तहसील चमोली
जनपद चमोली

shy
तहसील चमोली
जिला चमोली